झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

संकल्प

विषय :– लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

लाह एक प्राकृतिक राल है जो लाह कीट के द्वारा पौधों का रस चूसने के उपरान्त स्राव के फलस्वरूप प्राप्त होता है। लाह कीट पालन (लाह की खेती) वन एवं उपवन में रहने वालों के साथ ही अन्य छोटे किसानों के लिये आय का एक उत्तम स्रोत है।

02. 400 से अधिक पौधों पर लाह कीट पाया गया है लेकिन लगभग 30 पौधों पर लाह की व्यवसायिक खेती की जा सकती है जिनमें से पलास, कुसुम, बैर एवं सेमियालता लाह खेती हेतु मुख्य लाह पोषक वृक्ष हैं। लाह की खेती से स्वरोजगार एवं आय सृजन के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्ष में 25 करोड़ परिवारों में से लगभग 10 लाख परिवार लाह की खेती से जुड़े हुए है। लाह की खेती में प्रमुख रूप से पूर्वी एवं मध्य भारत के झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं प0 बंगाल का योगदान है। घरेलु खपत के साथ साथ लाह एक निर्यात उत्पाद है, जिसके कारण देश की विदेशी मुद्रा अर्जन में भी इसका योगदान है। लाह खेती जीवकोपार्जन के साथ–साथ वन संरक्षण एवं पर्यावरण को अनुकूल बनाये रखने का भी एक साधन है। लाह एक प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है यथा–खाद्य उद्योग, दवाई उद्योग, पेन्ट उद्योग, टेक्सटाईल उद्योग, कोसमेटिक, इलेक्ट्रीकल उद्योग, इत्र उद्योग, फल एवं सब्जी कोटिंग, पॉलिस उद्योग, लाह चुड़ी व हस्तशिल्प उद्योग इत्यादि।

लाह मूल्य संवर्द्धन यथा– सीडलैक, लैकडाई, शैलेक, बटन लैक, ब्लीच्डलैक, एल्यूरीटिक एसीड एवं आईसोइम्ब्रोलाईड का उत्पादन भारत वर्ष में मूलतः झारखण्ड, प0 बंगाल एवं छत्तीसगढ़ में होता है। झारखण्ड में ग्रामीण स्तर पर लाह मूल्य संवर्द्धन मुख्यतः सीडलैक, हस्तनिर्मित चपड़ा, बटन लैक, लैक सिलिंग स्टीक एवं लाह चूड़ी जैसे कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में युवाओं विशेषकर महिलाओं में उद्यमिता के विकास के अवसर प्रदान करता है।

03. **वर्तमान में लाह खेती को गैर काष्ठ वन उत्पाद (Non Timber Forest Produce) के रूप में वर्गीकरण किया गया है।** यद्यपि लाह की खेती अन्य कृषि फसलों की तरह वैज्ञानिक एवं परम्परागत पद्धति से की जाती है, जबकि अन्य लघुवनोत्पाद का सिर्फ संग्रह किया जाता है। लाह की खेती करने में अन्य कृषि उपज की तरह Land Preparation, Seed sowing/nursery Preparation, Transplanting, manuring and use fertilizers, pruning inoculation of broodlac spraying, intercultural operations and harvesting of lac crop इत्यादि कार्य किये जाते हैं। वनोपज से होने वाली आमदनी आयकर के दायरें में होने के कारण लाह खेती के विस्तार में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न

536
26.04.2023

होती है। लाह उत्पादकों को किसानों का दर्जा नहीं मिलने से उन्हें बैकों से ऋण लेने में परेशानी के साथ साथ सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते है।

04. राष्ट्रीय स्तर पर लाह के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से लाह खेती प्रशिक्षण एवं लाह मूल्य संवर्द्धन के लिए भारतीय प्राकृतिक रॉल व गोंद संस्थान, नामकुम, रांची एक मात्र संस्थान है जिसके द्वारा अपने स्थापना काल (वर्ष 1924) से ही लाह खेती से जुड़े किसानों को निरंतर तकनीकी सेवा प्रदान की जा रही है। लाह की खेती को अन्य कृषि फसलों के साथ समेकित कर किसानों की आमदनी को समुचित स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। संस्थान द्वारा लाह समेकित कृषि प्रणाली विकसित की गई है जिसका लाभ किसानों तक पहुँच रहा है। संस्थान ने लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करवाने में भी अहम भूमिका निभाई है। राज्य स्तर पर झारखण्ड राज्य लाह क्रय–विक्रय एवं आहरण संघ समिति (झास्कोलैम्पफ) अपने स्थापना काल (वर्ष 1963) से राज्य के लाह कृषकों के आर्थिक उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर कार्यरत है। वर्त्तमान में झास्कोलैम्पफ द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लाह विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से लाह खेती, लाह मूल्य संवर्द्धन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाह आहरण योजना प्रमुख हैं।

05. झारखण्ड राज्य लाह उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है, जहाँ औसतन उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार मैट्रिक टन है। राज्य के लगभग 4 लाख ग्रामीण परिवार विशेष कर जनजातीय परिवार लाह की खेती से जुड़े हुए हैं। कृषि से होने वाली आय का लगभग 25–30% हिस्सा उन्हें लाह की खेती से ही प्राप्त होता है। राज्य में लगभग 19 लाह प्रक्षेत्र जिला के रूप में सम्मिलित है, जिनमें 8 जिले क्रमशः राँची, सिमडेगा, खूँटी, गुमला, प0 सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, सरायकेला–खरसावाँ एवं लातेहार प्रमुख हैं जबकि अन्य जिलों में भी लाह उत्पादन की अच्छी संभावनायें हैं।

06. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लाह की खेती अन्य कृषि उत्पाद की तरह वैज्ञानिक पद्धति से शोध एवं प्रशिक्षण के आधार पर लाह पोषक वृक्षों कुसुम, बैर, पलास, सेमियालता एवं कुछ अन्य वृक्षों पर की जाती है, जिसमें लाह खेती से जुड़े किसानों द्वारा श्रम के साथ–साथ सभी आवश्यक INPUT भी प्रयुक्त किये जाते हैं।

07. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, रांची (IINRG-ICAR) के तकनीकी मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य में लाह खेती को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण स्तर पर उनके उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन कर ग्रामीणों में उद्यमिता के विकास को दृष्टिगत रखते हुए लाह को कृषि का दर्जा देने के फलस्वरूप निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगीः–

- राज्य के अन्तर्गत लाह खेती से जुड़े ग्रामीणों को **लाह कृषक** के नाम से सम्बोधित किया जा सके।
- लाह खेती से जुड़े ग्रामीणों को भी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त हो।

536
26.04.2023

- लाह उत्पाद को भी मौसम आधारित फसल बीमा योजना से जोड़ना।
- झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना से लाह कृषकों को लाभुक के रूप में जोड़ा जा सके।
- वन भूमि पर पारम्परिक तौर पर लाह की खेती करने वाले एवं वन अधिकार अधिनियम–2006 के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति/अन्य पारम्परिक Forest Dwellers को वन अधिकार दिया जा सकेगा।
- ग्रामीण स्तर पर लाह आधारित कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना एवं Differential Rate of Interest (DRI) Scheme के तहत बैंकों से क्रेडिट लिंकेज सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- लाह को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

"विचारोपरान्त उक्त तथ्यों के आलोक में लाह की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया जाता है।"

राज्य में लाह के मूल्य संवर्धन एवं लाह की खेती हेतु वित्तीय सहायता कृषि विभाग सम्प्रति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। गैर वन क्षेत्रों में लाह की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग सम्प्रति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग नोडल विभाग होगा तथा वन क्षेत्रों में लाह की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नोडल विभाग होगा।

प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–17.04.2023 में सम्मिलित मद सं0–07 के रूप में स्वीकृत है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/समिति झास्को0 (फेड0)–06/2022 सह0 536 **/राँची, दिनांक–** 26.04.2023

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/समिति झास्को0 (फेड0)–06/2022 सह0 536 **/राँची, दिनांक–** 26.04.2023

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04 / समिति झास्को0 (फेड0)–06 / 2022 सह0 536 / राँची, दिनांक– 26.04.2023

प्रतिलिपि–सभी कोषागार / उप कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04 / समिति झास्को0 (फेड0)–06 / 2022 सह0 536 / राँची, दिनांक– 26.04.2023

प्रतिलिपि–कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी विभाग / सभी आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04 / समिति झास्को0 (फेड0)–06 / 2022 सह0 536 / राँची, दिनांक– 26.04.2023

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची / कृषि निदेशक / निदेशक भूमि संरक्षण / निदेशक उद्यान / निदेशक (प्रशासन), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड कृषि विपणन पर्षद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E-Mail

ज्ञापांक–04 / समिति झास्को0 (फेड0)–06 / 2022 सह0 536 / राँची, दिनांक– 26.04.2023

प्रतिलिपि–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / सभी प्रबंध निदेशक, वेजफेड / झास्कोलैम्पफ / झाम्फकोफेड / सिद्धों–कान्हों कृषि एवं वनोपज राज्य / जिला सहकारी संघ लि0 रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04 / समिति झास्को0 (फेड0)–06 / 2022 सह0 536 / राँची, दिनांक– 26.04.2023

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।